फर्द अहकाम

रामफूल बनाम गोपाल वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

संख्या 127/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	आवश्यक रूप से पेश करें अन्यथा पत्रावली खारिज कर दी जावेगी। पत्रावली दिनांक 11/2/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
11/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी आकृष्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से संबंधित फूलवाड़ का आदेश हाजरी का आदेश पेशी से खारिज किया जा चुका है। अतः अब इस न्यायालय प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः इस न्यायालय प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज ही इजलास खुला सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दफ्तर में कम हो तथा बाद शुदा दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	